

कार्यालय आदेश संख्या :- 1057/NG/2019/Engg./SPJ

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं० 806/NG/2019/Engg./SPJ दिनांक 08.08.2019 द्वारा श्री विवेक कुमार, जिनका पूर्ण विवरण नीचे अंकित है, को SSE/W/North/SPJ के अधीन Helper(Works) लेवल-01 के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, परन्तु कतिपय कारणों से वहाँ योगदान नहीं दिये हैं, को अब सक्षम अधिकारी द्वारा पदस्थापना स्थल में परिवर्तन के उपरांत उनके नाम के सामने अंकित पद, वेतन लेवल, वेतन एवं स्टेशन/इकाई पर अस्थायी नियुक्ति की जाती है:-

अभ्यर्थी का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	पिता का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	समुदाय	चिकित्सा श्रेणी, प्रमाण पत्र सं०, एवं दिनांक	पदस्थापना पर लेवल-01 में वेतन निर्धारण	पदनाम एवं पदस्थापित युनिट/स्टेशन
VIVEK KUMAR	RAMJI	16.09.1989	OBC	Fit in physically handicapped Quota(Visual) by CMS/MGS No-770914 Dt.-30.04.19	₹ 18000/-	Helper(Works) Under AEN/Land



हस्ताक्षर (हिन्दी)



हस्ताक्षर (अंग्रेजी)



पहचान चिन्ह: 1. बाँयें गाल पर तिल का निशान।

2. बाँयें हाथ के कंधुनी के उपर तिल का निशान।

LTI/RTI(in case of Female Candidate)

इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता देय है। वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा। जहाँ नियुक्त पद पर प्रशिक्षण आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना होगा।

इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेना में 06 वर्षों तक सैन्य सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र F(E)/III/2003/PN-1/24 दिनांक 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होगी।

(चन्द्र किशोर)

सहायक कार्मिक अधिकारी-1।

समस्तीपुर

दिनांक 09.09.2019

संख्या: का/227/आरआरसी पैनल/सम/इंजी./2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वमविप्र/सम०
2. वमइ(समन्वय)
3. संबंधित समइ
4. संबंधित वसेइ
5. मुकार्याधी/इंजी० संवर्ग
6. कार्याधी/एम०पी०पी०- वे कृपया इसे समस्तीपुर मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
7. अभिलेख हेतु
8. मुकार्याधी पास- कृपया उक्त कर्मचारी के पक्ष में समस्तीपुर से पदस्थापना स्थल तक कार्य योगदान हेतु वांछित पास निर्गत करने की व्यवस्था करें।
9. संबंधित कर्मचारी
10. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयू०,ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो/सम०

सहायक कार्मिक अधिकारी-1।

समस्तीपुर